



# मुख्यालय उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

भोपालपानी, थानो रोड, देहरादून

E-mail: [hq.ukvib@gmail.com](mailto:hq.ukvib@gmail.com) Website: [www.ukvib.org](http://www.ukvib.org)

प्रेषक,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड,  
भोपालपानी, देहरादून।

प्रेषित,

समस्त जिला ग्रामोद्योग अधिकारी /  
समस्त क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) /  
समस्त प्रभारी परिक्षेत्रीय / मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र,  
एवं उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय देहरादून।

पत्रांक १०२१ / कार्मिक / वा०स्था०अधि०४-४९७ / २०१८-१९ दिनांक २०/०४/२०१८

**विषय** :- उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१८ के अन्तर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों का डाटा प्रदर्शन तथा वार्षिक स्थानान्तरण हेतु विकल्प एवं अनुरोध पत्र मार्गें जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७/२०१८ के अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिकतम १० विकल्प एवं अनुरोध पत्र प्राप्त किये जाने का प्राविधान है। वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम २०१८ के अन्तर्गत उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्मिकों का सुगम/दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हांकन, सुगम-दुर्गम क्षेत्रों में उपलब्ध / सम्भावित रिक्तता एवं सुगम एवं दुर्गम हेतु कार्मिकों के पात्रता की सूची विभागीय वेबसाईट [www.ukvib.org](http://www.ukvib.org) में प्रदर्शित की जा चुकी है, का अवलोकन किया जा सकता है साथ ही सम्बन्धित सभी जनपदीय / क्षेत्रीय अधिकारियों को उक्त की प्रति भी प्रेषित कर दी गयी है।

अतः उक्त सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप पर सुगम/दुर्गम क्षेत्रों हेतु उपलब्ध / सम्भावित रिक्तता एवं पात्रता की सूची के अधीन विकल्प/अनुरोध पत्र स्वयं अथवा अपने नियंत्रणाधीन कार्मिकों से उपलब्ध कराया जा सकता है। निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त प्राप्त विकल्प/आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्न-१- सम्भावित रिक्तता एवं पात्रता की सूची

२- विकल्प का प्रारूप

(के०के० सिंह)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक / उक्त तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।
२. उप सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
३. संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।

(के०के० सिंह)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी